न्यायालय, सब–जज तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0 नं0– 23/2016

08.09.2022

मुदई की हाजिरी है। प्रस्तुत वाद वादी की ओर से दिए गए आवेदन दिनांक–21.05.2022 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी. पर उभय पक्षों को सुना एवं सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनने के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद वादी ने अर्जी के जमीमा नंबर 1 में वर्णित एराजी में अपने 1/6 हिस्से की मांग किया है। उक्त वाद के जमीमा नंबर 1 में वर्णित एराजी वादी एवं प्रतिवादी के खानदान की मौरूसी एराजी है जिसका बंटवारा आज तक फरीकेन के बीच नहीं हुआ है। उनका कहना है कि प्रस्तुत वाद के द्वितीय पक्ष एराजी के जमीमा नंबर 1 के एराजी को बेचने की बातचीत कर उक्त एराजी को बेचना चाहते हैं तथा आगे उनका कहना है कि बिना बंटवारा किए उक्त एराजी को बंचने से वादी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनका आवेदन दिनांक– 21.05.2021 को स्वीकृत कर निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाये।

बचाव पक्ष के प्रथम विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान कहना है कि वादी के आवेदन पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष निर्मला देवी एवं उनके वारिसान के विरूद्ध वाद में एकपक्षीय कार्यवाही चल रहा है साथ ही मुदालय द्वितीय पक्ष तारा मुनी देवी की ओर से उक्त आवेदन के आलोक में किसी प्रकार का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया। वादी एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के वारिसान के द्वारा बिना बंटवारा किये गये भूमि को बंचने की बात कही गयी है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त वादी के आवेदन को स्वीकृत करते हुए वादी के मुदालय द्वितीय पक्ष निर्मला देवी एवं उनके वारिसानों के उपस्थित होने तक के शर्त पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक–20.10.2022 वास्ते सुनवाई।

लेखापित
Sd/-
सब–जज, तृतीय,